

**उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु स्वीकृत गन्ना किस्मों की संशोधित तालिका वर्ष 2021-22**

क्र.सं.	नाम क्षेत्र	जनपद	शीघ्र पकने वाली किस्में	मध्यदेर से पकने वाली किस्में
1-	सभी क्षेत्र	प्रदेश के समस्त गन्ना उत्पादक जनपद	को.शा. 8436, को.शा. 88230, को.शा. 95255, को.शा. 96268, को.से. 03234, यू.पी. 05125 (यू.पी. 09453), को.से. 98231, को.शा. 08272, को.से. 95422, को. 0238, को. 0118, को. 98014, को.शा. 13231 को.शा. 13235, को.लख. 14201	को.शा. 767, को.शा. 8432, को.शा. 97264, को.शा. 96275, को.शा. 97261, को.शा. 98259, को.शा. 99259, को.से. 01434 यू.पी. 0097, को.शा. 08279, को.शा. 08276, को.शा. 12232, को.से. 11453, को. 05011, को.शा. 09232, को.से. 13452, को.शा. 14233
2-पश्चिमी क्षेत्र	मेरठ, सहारनपुर	मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ बुलन्दशहर, बागपत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली	सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्मों के साथ-साथ को.जा. 64, को.शा. 03251, को.लख. 9709, को. 0237, को. 05009, को.लख. 11203, <b>को.15023</b>	सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्मों के साथ-साथ को.शा. 94257, को.शा. 96269, यू.पी. 39, को.पन्त. 84212, को.शा. 07250 को.ह. 119, को.पन्त. 97222, को.जे. 20193, को. 0124, को.ह. 128, को.लख. 09204, को.लख. 11206, को. 09022, को. 12029, को.पी.के. 05191
3-मध्य क्षेत्र	लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद	लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, कानपुर-देहात, फरुखाबाद, उन्नाव। बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदरयूँ, अलीगढ़, एटा, मथुरा। मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर तथा बिजनौर।	सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्मों के साथ-साथ को.जा. 64, को.से. 01235, को.लख. 9709, को. 0237, को. 05009, को.लख. 11203, <b>को.15023</b>	सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्मों के साथ-साथ को.शा. 94257, को.शा. 96269, यू.पी. 39, को.पन्त. 84212, को.ह. 119, को.पन्त. 97222, को.जा. 20193, को. 0124, को.ह. 128, को.लख. 09204, को.लख. 11206, को. 09022, को. 12029, को.पी.के. 05191
4-पूर्वी क्षेत्र	देवरिया, गोरखपुर, देवीपाटन, फैजाबाद	देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया। गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर। गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। फैजाबाद, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आदि	सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्मों के साथ-साथ को.से. 01235, को. 87263, को. 87268, को. 89029, को.लख. 94184, को. 0232, को.से. 01421, को.लख. 12207	सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्मों के साथ-साथ को.से. 96436, को.से. 08452, को.लख. 12209
5-	सभी जलप्लावित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किस्में।		-	यू.पी. 9530 एवं को.से. 96436, को.शा. 10239 (जल प्लावित एवं ऊसर)

- नोट:** 1- गन्ना विभाग एवं शोध परिषद् के माध्यम से केवल प्रदेश में सामान्य बुआई हेतु स्वीकृत गन्ना किस्मों का ही बीज वितरित किया जायेगा।  
2- गन्ना किस्म को. 0238 में अत्यधिक गन्ना क्षेत्रफल में लाल सडन रोग के आपतन के कारण वर्ष 2020-21 से इसके बीज उत्पादन का कार्यक्रम, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् तथा गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं किया जायेगा।  
3- गन्ना किस्म को.पी.के. 05191 को पेराई सत्र 2021-22 से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लिए मध्य देर से पकने वाली किस्म माना जायेगा, साथ ही इस किस्म को आगामी वर्षों में फेज आउट किया जायेगा।

निदेशक,  
उ०प्र० गन्ना शोध परिषद्,  
शाहजहाँपुर।

अपर गन्ना आयुक्त  
(शोध समन्वय),

गन्ना आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।